



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233005
CG-DL-E-31012022-233005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]
No. 384]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/ MAGHA 11, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसिटिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/3/2021-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

नोट : एसिटिक एसिड के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2791 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 344(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2179(अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3799(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 और का.आ. 1676(अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetic Acid (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2022.”

[F. No. 13012/3/2021-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note: The principal order for Acetic Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2791(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification number S.O. 344(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2179(E) dated 1st July, 2020, S.O. 3799(E) dated the 22nd October, 2020 and S.O. 1676(E) dated 19th April, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एनिलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 13012/3/2021-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

नोट: एनिलिन के लिए मूल आदेश अधिसूचना संख्या का.आ. 2792 (अ) दिनांक 05.08.2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था। इस के बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 203(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2020, का.आ. 2180 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3796(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 और का.आ. 1677 (अ) दिनांक 19.04.2021 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 397(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following subparagraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2022.”

[F. No. 13012/3/2021-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note : The principal order for Aniline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2792(E) dated 05.08.2019. Subsequently amended vide notification number S.O. 203(E) dated 15th January, 2020, S.O. 2180(E) dated 1st July, 2020, S.O. 3796(E) dated the 22nd October, 2020 and S.O. 1677(E) dated 19.04.2021.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 398(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 13012/3/2021-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

नोट : मेथनॉल के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2793 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 345(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2181(अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3795(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 और का.आ. 1681 (अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 398(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methanol (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2022.”

[F. No. 13012/3/2021-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note : The principal order for Methanol was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2793(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification number S.O. 345(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2181(E) dated 1st July, 2020, S.O. 3795(E) dated the 22nd October, 2020 and S.O. 1681(E) dated 19th April, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 399(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मॉर्फोलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 1 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/3/2021-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

नोट : मॉर्फोलिन के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1893(अ) दिनांक 16 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 2030(अ) दिनांक 25 मई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 399(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Morpholine (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 1st August, 2022.”

[F. No. 13012/3/2021-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note : The principal order for Morpholine was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1893(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification number S.O. 2030(E) dated the 25th May, 2021.